दिनांक–25.04.2025 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत गुड़ इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) आकलन से संबंधित आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

सर्वप्रथम ईखायुक्त, बिहार द्वारा बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के संबंध बताया गया कि बिहार राज्य गुड़ उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत् राज्य में गुड़ उत्पादन को संस्थागत समर्थन देने के लिए नये गुड़ इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभिन्न क्षमताओं के 124 गुड़ इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना अन्तर्गत गुड़ इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) आकलन का प्रावधान है। इसे लागू करने के संबंध में विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया:–

(i) NIC, पटना द्वारा ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर से नामित Principal Investigator / Project evaluator को Credential Login उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव को ईख पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा नामित Principal Investigator / Project evaluator को तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) के आकलन हेतु ऑनलाइन के माध्यम Principal Investigator / Project evaluator के Login पर प्रदर्शित होगा।

(iii) ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) का मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना मंतव्य/सुझाव ऑनलाइन के माध्यम से देंगे :–

(a) The project is Technically feasible and financially viable.

(b) The project needs improvement and the improvement may be done by applicant.

(c) The project is not fit for approval.

(iv) ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर द्वारा नामित Principal Investigator / Project evaluator अपना मंतव्य ऑनलाइन के माध्यम से Admin (H.Q) के Login पर भेजेंगे।

(v) प्राप्त प्रस्ताव का तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) का मूल्यांकन एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा।

(vi) Principal Investigator / Project evaluator हेतु ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, को प्रति प्रस्ताव पर 1000 रू० का मानदेय (honorarium) प्रदान किया जायेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः.........2

ज्ञापांक–02 / रेगु0–02–7013 / 2023– 621/ई०का० /पटना, दिनांक– 29 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– SIO, NIC, बिहार, पटना, बिहार, पटना / श्री संजय कुमार, वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु0–02–7013 / 2023– 621/ई०का० /पटना, दिनांक– 29 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु0–02–7013 / 2023– 621/ई०का० /पटना, दिनांक– 29 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/2025

ईखायुक्त, बिहार।